



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

03 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 214 राँची, सोमवार,

22 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

29 जनवरी, 2020

संख्या-5/आरोप-1-28/2017-582 (HRMS)-- श्री रामगोपाल पाण्डेय, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-रोहतास) के विरुद्ध इनके प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईचाक, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक-574/सी0, दिनांक 18.02.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

(i) उपायुक्त, हजारीबाग के गोपनीय शाखा के पत्रांक-1684/सी0, दिनांक 07.07.2015, पत्रांक-498/सी0, दिनांक 28.02.2016 एवं ज्ञापांक-1908/सी0, दिनांक 09.08.2016 द्वारा प्रखण्ड मुख्यालय में रहने संबंधी निदेश की अवेहलना करते हुए मुख्यालय में निवास नहीं करना। दिनांक 22.01.2017 एवं पुनः दिनांक 15.02.2017 को आवासन की जाँच हेतु भेजे गये पदाधिकारियों द्वारा श्री पाण्डेय के मुख्यालय में निवास नहीं करने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया।

(ii) प्रखण्ड मुख्यालय में निवास नहीं करने के फलस्वरूप विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण प्रभावित हुआ-
(क) द्वितीय चरण में डोभा निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य 1144 के विरुद्ध मात्र 764 डोभा स्वीकृत किये गये हैं एवं मात्र 260 में कार्य प्रारंभ कराया गया।

(ख) कुल 2175 मनरेगा योजनाओं के विरुद्ध मात्र 1340 योजनाएँ पूर्ण करायी गयी हैं।
 (ग) वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक स्वीकृत/लम्बित 808 आवासों में से मात्र 545 आवासों को पूर्ण कराया गया एवं 263 आवास अब तक लम्बित हैं। विभागीय निदेशानुसार दिनांक 31.01.2017 तक सभी लम्बित आवासों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है।

(iii) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत ईचाक प्रखण्ड के लिए अनुशंसित ग्राम पंचायत मुंगरा के हरिजन मुहल्ला में धारू राम के घर के सामने 6' (छः ईंच) डीप बोरिंग समरसेबल पम्प सेट, वाटर टैंक के साथ Multiple Water taps का अधिष्ठापन योजना के स्वीकृत्यादेश की शर्त संख्या-4 में अंकित प्रावधान के विपरीत निजी भूमि पर योजना का कार्य सम्पन्न करवाया जाना।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3800, दिनांक 21.03.2017 द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री पाण्डेय के पत्रांक-1593/वि0, दिनांक 18.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8317, दिनांक 06.11.2018 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1029/स्था0, दिनांक 07.11.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण को अस्वीकार प्रतिवेदित किया गया।

श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक-136, दिनांक 23.01.2017 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक-227, दिनांक 16.02.2017 में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड मुख्यालय में आवासन नहीं करते हैं। यदि निरीक्षण की तिथि को श्री पाण्डेय मुख्यालय में नहीं भी थे तो भी उनके मुख्यालय में आवासन संबंधी सूचना की पुष्टि स्थानीय पूछताछ से सत्यापित हो सकती थी।

(ii) सरकार के मुख्य सचिव के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0-6259, दिनांक 24.10.2016 एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-7012, दिनांक 05.12.2016 के आलोक में दिनांक 31.01.2017 तक सभी लम्बित इंदिरा आवास योजनाओं का कार्य पूर्ण करवाने संबंधी निदेश का अनुपालन श्री पाण्डेय द्वारा नहीं करवाया जा सका।

(iii) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल से हटकर अन्य स्थल पर करवाने हेतु विभागीय अभिकर्ता कनीय अभियंता के साथ-साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भी अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। यदि श्री पाण्डेय द्वारा नियमित रूप से योजनाओं का पर्यवेक्षण किया जाता तो उक्त योजना का कार्यान्वयन अन्य स्थल पर किये जाने संबंधी जानकारी उन्हें पूर्व में ही हो जाती।

अतः समीक्षोपरांत, श्री रामगोपाल पाण्डेय, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईचाक, हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAM GOPAL PANDEY 110061163112	श्री रामगोपाल पाण्डेय, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ईचाक, हजारीबाग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
